राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज० जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
E-mail : caodlb@gmail.com Fax – 0141 – 2223074/2222403

क्रमांक : प.6(ज)लेखा/कोविड.19/डीएलबी/33119-315 दिनांकः 27/04/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
राजस्थान।

विषय : कोरोना सक्रमण (COVID-19) की रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण ईलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादी) एवम् मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि) की असामेयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार को राशि रुपये 50.00 लाख (अक्षरे पचास लाख रुपये मात्र) अनुग्रह राशि बाबत।

वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के आदेश दिनांक 11 अप्रेल 2020 के द्वारा कोरोना सक्रमण की रोकथाम से सम्बन्धित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमण के कारण ईलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादी) एवम् मानदेय कर्मचारी (होमगार्ड, सिविल डिफेंस आदि) की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित/परिवार को राशि रुपये 50.00 लाख (अक्षरे पचास लाख रुपये मात्र) अनुग्रह राशि देय होगी।

वित्त विभाग के उक्त आदेश के प्रावधान नगरीय निकायों पर प्रभावी होने के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न किये गये है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि :—

01. वित्त विभाग के दिनांक 11 अप्रेल 2019 के क्रममें यह अवगत कराया जाता है कि उक्त आदेश उन सभी कार्मिकों पर लागू होगा जिन पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 एवम राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होते है। उक्त आदेश की स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तो की पालना के अध्यधीन प्रदान की गई है।

FTL_2020

3 27/4

02. वित्त विभाग के दिनांक 11 अप्रेल 2019 जो कि सभी संविदा कर्मचारियों (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि) एवम् मानदेय कर्मचारियों पर लागू है जिनकी कोरोना संक्रमण से ड्यटी पर कार्य करते समय ईलाज के दौरान असामयिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित/परिवार को रुपये 50.00 लाख की सहायता प्रदान की गई है।

उक्त आदेश वित्त विभाग की आई.डी.संख्या 102001871 दिनांक 27.04.2020 से अनुमोदित है।

(उज्जवल राठौड़)(IAS)
निदेशक व संयुक्त सचिव
दिनांक: 27/04/2020

क्रमांक : प.6(ज)लेखा/कोविड.19/डीएलबी/ 33316-516

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. विशिष्ठ सचिव माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकायें, राजस्थान।
05. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
06. संयुक्त निदेशक व सिस्टम एनलिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(उम्मेद सिंह गोदारा)
वित्तीय सलाहकार